नम्बर व तारी...
इस हुक्म की...
जारी हु...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः– 01/22

अपीलांट

1. भूराराम
2. पोकरराम पि. राणाराम
3. पुनाराम पुत्र देवाराम, कौम मेघवाल निवासी अम्बों का बाड़ा, तहसील समदड़ी

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी पं.स. समदड़ी
2. श्री भरतदास पुत्र श्री बद्रीदास जाति साद निवासी कोटड़ी तहसील समदड़ी
3. श्री महावीरदास पुत्र श्री बद्रीदास जाति साद निवासी कोटड़ी तहसील समदड़ी
4. सुश्री/श्रीमति दीपिका पुत्री श्री बद्रीदास जाति साद निवासी कोटड़ी तहसील समदड़ी
5. मृतक सुश्री/श्रीमति जशोदा के वारिसान–
   5/1 माधुदास पुत्र श्री मोहनदास जाति साद
   5/2 विक्रम पुत्र श्री माधुदास जाति साद
   5/3 रमेश पुत्र श्री माधुदास जाति साद
6. सुश्री/श्रीमति शोभा पुत्री श्री बद्रीदास जाति साद निवासी कोटड़ी तहसील समदड़ी
7. सुश्री/श्रीमति रेखा पुत्री श्री बद्रीदास जाति साद निवासी कोटड़ी तहसील समदड़ी
8. श्रीमति गजरो पत्नी श्री बद्रीदास जाति साद निवासी कोटड़ी तहसील समदड़ी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. **श्री कैलासपुरी वकील अपीलांट**
2. **श्री श्रवण जांगीड़ वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 8**

–:: आदेश ::– दिनांक :– 13.04.2023

अपीलांट्स ने यह अपील ग्राम अम्बों का बाड़ा तहसील समदड़ी के नामान्तरकरण सं. 899 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी के आदेश दिनांक 06.09.19 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होना, अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की वजह बताते हुए धारा 5 लिमीटेशन एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स ने ग्राम अम्बों का बाड़ा की खसरा संख्या 142 रकबा 21–03 बीघा भूमि के 1/8 हिस्से के तत्समय के खातेदार एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 8 के पिता–पति बद्रीदास पुत्र पोकरराम से तीन पृथक–पृथक रजिस्टर्ड बेचान के जरिये आंशिक भू–भाग क्रय किया, किन्तु उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच बद्रीदास पुत्र पोकरराम की मृत्यु हो गई और उसके देहान्त पर अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये उसके हिस्से की रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 8 के नाम अमलदरामद हो गया और अपीलांट बावजूद हक के अपीलाधीन भूमि की खातेदारी से महरूम हो गये। अतः अपीलांट्स ने ग्राम अम्बो का बाड़ा के नामान्तरकरण सं. 899 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी के आदेश दिनांक 06.09.19 निरस्त करवाते हुए रेस्पोडेण्ट सं. 2 से 8 के साथ माफिक

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:38 IST
Reason: SelfAttested

बेचान अपीलांट्स के नाम दर्ज करवाते हुए नामान्तरकरण पारित करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील अपीलांट्स म्याद बिन्दु सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स की जरिये सम्मन तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट सं. 2 से 8 की ओर से वकील श्री श्रवण जांगीड़ ने उपस्थित होकर माफिक बेचान अपीलांट्स के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि में क्रय के साथ ही क्रयशुदा भू–भाग के खातेदार बन चुके थे, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अमलदरामद नहीं हुआ और बद्रीदास ने समग्र 1/8 हिस्से की भूमि, जिसमें अपीलांट्स द्वारा क्रयशुदा भू–भाग शामिल था, जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी के अपीलाधीन आदेश बद्रीदास के वारीसान रेस्पोडेण्ट सं. 2 से 8 के नाम दर्ज हो गई। अतः अपनी क्रयशुदा भूमि माफिक बेचान अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

हमने वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम अम्बो का बाड़ा की खसरा सं. 142 रकबा 21–03 बीघा भूमि में रेस्पोडेण्ट सं. 2 से 8 के पिता–पति बद्रीदास पुत्र पोकरराम 1/8 हिस्से के खातेदार थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने 1/8 हिस्से में से 0–06 बीघा भूमि अपीलांट सं. 1 को, इतनी ही भूमि अपीलांट सं. 2 को एवं 0–3–13 बीघा अर्थात् 3 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि का अपीलांट सं. 3 को पृथक–पृथक रजिस्टर्ड बेचानों के जरिये बेचान की, किन्तु उक्त बेचानों का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ और बद्रीदास के फौत होने पर समग्र 1/8 हिस्से का जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट सं. 2 से 8 के नाम अमलदरामद हो गया। इस प्रकार क्रेता की हैसियत से अपीलांट्स माफिक बेचान राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अमलदराम करवाने के अधिकारी हैं।

लिहाजा अपील अपीलांट्स अन्दरम्याद शुमार करते हुए एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 899 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी के आदेश दिनांक 06.09.19 अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार समदड़ी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स के हक में बद्रीदास द्वारा निष्पादित करवाये गए बेचाननामों का परीक्षण करते हुए उसके वारिसान के साथ विधिसम्मत रूप से नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 13/4/023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:38 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

सहायक कलेक्टर (F.O.) सिवाना